



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआइ/2011-12/67

बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी. 1/01.02.00/2011-12

1 जुलाई 2011

10 आषाढ 1933 (शक)

अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान
करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(एक्विज़म बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी)

महोदय

मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर [1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी.1/01.02.00/2010-11](#) देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2011 तक उक्त विषय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों / दिशानिर्देशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (<http://www.rbi.org.in>) पर भी उपलब्ध कराया गया है।

2. यह नोट किया जाए कि अनुबंध 5 में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है।

भवदीय

(दीपक सिंघल)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

बैंकिंग परिचालन अंर विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 13वीं मंज़िल केंद्रीय कार्यालय भवन शहीद भगत सिंग मार्ग मुंबई 400001
Department of Banking Operations and Development, Central Office, 13th floor, Central Office Bldg.,
Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001

टेलिफोन /Tel No:022-22661602 फैक्स/Fax No:022-22705691 Email ID: cgmicdbodco@rbi.org.in

हिन्दी आसान है इसका प्रयोग बढ़ाइए

वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड पर मास्टर परिपत्र

उद्देश्य

विशेषीकृत वित्तीय संस्थाओं को अपनी अल्पावधि तथा दीर्घावधि संसाधन आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायता देने के लिए ताकि वित्तीय संस्थाओं को उनकी संबंधित संविधि के अनुसार जिन परिचालनों, उद्देश्य तथा लक्ष्यों के साथ स्थापित किया गया था उनसे संबद्ध ऋण की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को वित्तीय संस्थाएं पूरा कर सकें। इस परिपत्र का उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा बॉण्ड जारी करने के संबंध में उनके बीच विनियामक मानदंडों में व्यापक एकरूपता लाकर उन्हें एक समान अवसर दिलाना भी है।

पिछले अनुदेश

इस मास्टर परिपत्र में अनुबंध 5 में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधन जुटाने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है।

प्रयोज्यता

सभी अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएं अर्थात्, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक।

विषयवस्तु

1	प्रस्तावना	3
2	‘अंब्रेला सीमा’ के अंतर्गत संसाधन जुटाने हेतु मानदंड	4
2.1	मीयादी जमा	5
2.2	मीयादी मुद्रा उधार	6
2.3	जमा प्रमाण पत्र (सीडी)	6
2.4	वाणिज्य पत्र (सीपी)	7
2.5	अंतर कंपनी जमाराशियां (आइसीडी)	11
3	बांडों/डिबेंचरों के निर्गम संबंधी मानदंड	11
	अनुबंध 1: वाणिज्य पत्र के जारीकर्ता द्वारा जारीकर्ता तथा भुगतानकर्ता एजेंट	14

(आइपीए) के माध्यम से रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली जानकारी का प्रोफार्मा	
अनुबंध 2: प्रमाणपत्र	16
अनुबंध 3: जुटाये गये कुल संसाधन पर मासिक समेकित विवरणी	17
अनुबंध 4: बांडों के माध्यम से जुटाये गये संसाधनों पर मासिक विवरणी	18
अनुबंध 5: मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची	20

1. प्रस्तावना

नब्बे के दशक के आरम्भ से भारतीय वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया का अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एफ आइ) के संसाधन जुटाने पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतीय रिज़र्व बैंक की दीर्घकालीन परिचालन (एलटीओ) निधि से वित्तीय संस्थाओं को निधियां प्रदान करने को धीरे-धीरे समाप्त किए जाने तथा उन्हें एसएलआर बांड के आबंटन की प्रणाली समाप्त किए जाने से, वित्तीय संस्थाएं बांड जारी कर (सार्वजनिक और निजी तौर पर आबंटित दोनों तरह के निर्गमों के ज़रिए) बाजार से संसाधन जुटा रही हैं। बाजार से बांडों के ज़रिए दीर्घावधि संसाधन जुटाने के लिए कुछ वित्तीय संस्थाएं सांविधिक निकाय होने के नाते सेबी से अनुमोदन लेती थीं, जबकि अन्य लिमिटेड कंपनियां होने के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन लेती थीं। इस संबंध में एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया कि सभी वित्तीय संस्थाओं को, चाहे वे सांविधिक निकाय हों या लिमिटेड कंपनियां, 1998 से भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों के अधीन लाया जाए। ऐसे अन्य परिवर्तन जिन्होंने वित्तीय संस्थाओं की संसाधन जुटाने की क्षमता को प्रभावित किया है, उनमें प्रगामी रूप से विनियमन को हटाना, ब्याज दर स्वैप तथा वायदा दर करार (आइआरएस/एफआरए) जैसे रक्षा प्रदान करनेवाले लिखत शुरू करना, आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली लागू करना आदि शामिल हैं। पूर्वोक्त गतिविधियों के कारण वित्तीय संस्थाओं के संसाधन जुटाने, खास तौर से बांड जारी करने के ज़रिए, संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा की ज़रूरत हुई और भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 जून 2000 को इन दिशानिर्देशों को संशोधित किया। वित्तीय संस्थाओं से बांड निर्गम के संबंध में प्राप्त संदर्भों पर शीघ्र निर्णय लेने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने एक 'स्थायी समिति' गठित की है जिसमें संबंधित वित्तीय संस्थाओं के नामितों को भी आमंत्रित किया जाता है। संबंधित वित्तीय संस्था से अनुरोध प्राप्त होने के दिन या अगले दिन स्थायी समिति की बैठक आयोजित की जाती है। वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे प्रस्तावित बांडों के निर्गम के पूरे ब्यौरे भेजें जिनमें जुटायी जानेवाली राशि, उसे जुटाने का तरीका, वह प्रयोजन जिसके लिए निधियों का उपयोग किया जायेगा प्रस्तावित निर्गम के विशेष तत्व जैसे बिक्री/खरीद विकल्प आदि तथा बांडों पर परिपक्वता आय (वाइटीएम) बतायी गयी हो।

2. 'अंब्रेला सीमा' के अंतर्गत संसाधन जुटाने हेतु मानदंड

चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधन जुटाना 1990 के दशक से मौद्रिक नीति के अनुबद्ध के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमन के अधीन था। प्रारंभ में भारतीय रिज़र्व बैंक ने चयनित वित्तीय संस्थाओं के लिए लिखतवार वह सीमा निर्धारित की थी जहां तक विशिष्ट लिखत के जरिए वित्तीय संस्थाएं संसाधन जुटा सकती थीं। मई 1997 में लिखतवार अधिकतम सीमा के स्थान पर "अंब्रेला सीमा" निर्धारित की गयी जो संबंधित वित्तीय संस्था की 'निवल स्वाधिकृत निधि' से संबद्ध थी और जो निर्दिष्ट लिखत के जरिए वित्तीय संस्था द्वारा उधार लेने के लिए समग्र अधिकतम सीमा थी। 'अंब्रेला सीमा' की प्रणाली अब भी लागू है, हालांकि पिछले वर्षों में इस सीमा के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त लिखतों को शामिल किया गया है। 'अंब्रेला सीमा' में वर्तमान में पांच लिखत शामिल हैं - अर्थात् मीयादी जमा, मीयादी मुद्रा उधार, जमा प्रमाण पत्र (सीडी), वाणिज्यिक पत्र और अंतर-कंपनी जमा (आइसीडी)। इन विनिर्दिष्ट लिखतों के जरिए जुटाये जानेवाले कुल उधार कभी भी संबंधित वित्तीय संस्था के नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार निवल स्वाधिकृत निधि के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। तथापि एनएचबी, सिडबी और एक्विजम बैंक द्वारा व्यक्त कठिनाइयों को देखते हुए अम्ब्रेला सीमा के अंतर्गत उनका उधार एक वर्ष की अधिकतम अवधि तक के लिए अर्थात् 30 जून 2012 तक के लिए निवल स्वाधिकृत निधि के 100 प्रतिशत से बढ़ाकर निवल स्वाधिकृत निधि का 150 प्रतिशत कर दिया गया है। इनमें से प्रत्येक लिखत से संबंधित शर्तें नीचे दी गयी हैं :

2.1 मीयादी जमा

मद	अनुदेश
कुल राशि	वित्तीय संस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गयी समग्र अंब्रेला सीमा के अंदर मीयादी जमाराशियां स्वीकार कर सकती है अर्थात् अन्य लिखतों, जैसे मीयादी मुद्रा, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र और अंतर-कंपनी जमा के साथ मीयादी जमा, अद्यतन लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार, उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।
परिपक्वता अवधि	1 से 5 वर्ष
ब्याज दर	वित्तीय संस्थाएं ब्याज दर निश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं
न्यूनतम जमाराशियाँ	₹. 10,000/-
दलाली	स्वीकृत जमाराशियों का 1 प्रतिशत

परिपक्वता अवधि पूर्व आहरण	<p>i) जमाकर्ता के निधन, मेडिकल अनिवार्यता, शैक्षिक व्यय तथा अन्य ऐसे कारणों से एक वर्ष पूर्ण होने से पहले परिपक्वता अवधि पूर्व आहरण के मामले में निम्नलिखित मानदंड लागू किया जाये :</p> <p>(क) छह महीने पहले परिपक्वता अवधि पूर्व आहरण - कुछ भी ब्याज न दिया जाये</p> <p>(ख) छह महीने और एक वर्ष के बीच परिपक्वता अवधि पूर्व आहरण - अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट की गई बचत बैंक दर से अधिक ब्याज दर न दी जाये ।</p> <p>(ii) 1 वर्ष से अधिक के लिए, वित्तीय संस्थाएं, जमाराशियों के परिपक्वता अवधि पूर्व आहरण पर उनकी अपनी दंडस्वरूप ब्याज दर निश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं ।</p>
रेटिंग	सेबी द्वारा अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग अनिवार्य है ।
अन्य शर्तें	स्वीकृत मीयादी जमाराशियों पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोई भी ऋण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए ।

2.2 मीयादी मुद्रा उधार

मद	अनुदेश
कुल राशि	वित्तीय संस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गयी समग्र अंब्रेला सीमा के अंदर मीयादी मुद्रा जुटा सकती है अर्थात् अन्य लिखतों, जैसे मीयादी जमा, वाणिज्य पत्र, जमा प्रमाण पत्र और अंतर-कंपनी जमा के साथ मीयादी मुद्रा उधार, अद्यतन लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार, उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए ।
परिपक्वता अवधि	3 महीने से कम नहीं और 6 महीने से अधिक नहीं
ब्याज दर	वित्तीय संस्थाओं को ब्याज दर निश्चित करने की स्वतंत्रता है ।
उधार किससे	वित्तीय संस्थाएं अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और सहकारी बैंकों से ही 'मीयादी मुद्रा' उधार लेने के लिए पात्र हैं ।

2.3 जमा प्रमाण पत्र (सीडी)

मद	अनुदेश
पात्रता	जमा प्रमाण पत्र उन चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये जा सकते हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गयी अंब्रेला सीमा के अंदर अल्पावधि संसाधन जुटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुमति दी है।
कुल राशि	वित्तीय संस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गयी समग्र अंब्रेला सीमा के अंदर जमा प्रमाण पत्र जारी कर सकती है, अर्थात् अन्य लिखतों जैसे मीयादी मुद्रा, मीयादी जमा, वाणिज्य पत्र और अंतर कंपनी जमा सहित जारी किये जानेवाले जमा प्रमाण पत्र, अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार, उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।
मूल्य वर्ग	जमा प्रमाण पत्र की न्यूनतम राशि एक लाख रुपये होनी चाहिए अर्थात् एकल अभिदाता से स्वीकार की जा सकने वाली न्यूनतम जमाराशि 1 लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। जारी किये जानेवाले जमा प्रमाण पत्र 1 लाख रुपये के गुणजों में होंगे।
कौन अभिदान कर सकता है ?	जमा प्रमाण पत्र एकल व्यक्तियों (अवयस्कों को छोड़कर), निगमों, कंपनियों, न्यासों, निधियों, संघों आदि को जारी किये जा सकते हैं। अनिवासी भारतीय भी जमा प्रमाण पत्रों में अभिदान कर सकते हैं लेकिन, केवल अप्रत्यावर्तनीय आधार पर और इस बात का प्रमाणपत्र पर स्पष्टतः उल्लेख किया जाए। ऐसे जमा प्रमाणपत्र अनुषंगी बाज़ार में किसी दूसरे अनिवासी भारतीय को परांकित नहीं किए जा सकते हैं।
परिपक्वता अवधि	वित्तीय संस्थाएं जारी करने की तारीख से 1 वर्ष से अन्यून अवधि और 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जमा प्रमाण पत्र जारी कर सकती हैं।
बट्टा/कूपन दर - स्थिर और अस्थिर	जमा प्रमाण पत्र अंकित मूल्य पर बट्टा काटकर जारी किये जाने चाहिए, परंतु उन्हें कूपन युक्त लिखत के रूप में भी जारी किया जा सकता है। वित्तीय संस्थाओं को अस्थिर दर के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति है, बशर्ते अस्थिर दर निर्धारित करने की पद्धति वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी तथा बाज़ार आधारित हो। वित्तीय संस्थाएं बट्टा/कूपन दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।
फार्मेट	वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमा प्रमाण पत्र केवल अमूर्त (डिमटेरिअलाइज़ड) रूप में ही जारी किये जाने चाहिए। तथापि, डिपॉजिटरीज एक्ट, 1996 के अनुसार निवेशकों को प्रमाण पत्र भौतिक रूप में प्राप्त करने का विकल्प है। तदनुसार, यदि निवेशक

	भौतिक रूप में प्रमाण पत्र का आग्रह करे तो वित्तीय संस्था ऐसे प्रमाण पत्र भौतिक रूप में जारी कर सकती है, परंतु ऐसे प्रसंगों की मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 को अलग से सूचना देनी होगी ।
अंतरणीयता	भौतिक जमा प्रमाणपत्रों को परांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा मुक्त रूप से अंतरित किया जा सकता है। जमा प्रमाण पत्रों को अन्य डिमेट प्रतिभूतियों पर लागू क्रियाविधि के अनुसार अंतरित किया जा सकता है । जमा प्रमाण पत्रों के लिए कोई अवरुद्धता अवधि नहीं है ।
ऋण/पुनर्खरीद	वित्तीय संस्था जमा प्रमाण पत्रों पर न तो ऋण प्रदान कर सकती हैं और न ही अपने जमा प्रमाण पत्रों की परिपक्वता अवधि से पहले पुनर्खरीद कर सकती हैं।
मानकीकृत बाजार प्रथाएँ और प्रलेखीकरण	इस संबंध में वित्तीय संस्थाएं निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संघ (एफआइएमएमडीए) द्वारा 20 जून 2002 को जारी किए गए समय समय पर संशोधित विस्तृत दिशानिर्देश देखें ।

2.4 वाणिज्य पत्र (सीपी)

मद	अनुदेश
पात्रता	जिन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गयी अंब्रेला सीमा के अंतर्गत संसाधन जुटाने की अनुमति दी गयी है वे वाणिज्य पत्र जारी करने के लिए पात्र हैं ।
कुल राशि	वित्तीय संस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गयी अंब्रेला सीमा के अंदर वाणिज्य पत्र जारी कर सकती हैं, अर्थात् अन्य लिखतों जैसे मीयादी मुद्रा, मीयादी जमा, जमा प्रमाण पत्र और अंतर कंपनी जमा सहित जारी किये जानेवाले वाणिज्य पत्र, अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार, उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए ।
जारी करने की अवधि	जारी करने हेतु प्रस्तावित वाणिज्यिक पत्र की कुल राशि जारीकर्ता द्वारा अभिदान के लिए निर्गम खुलने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर जुटायी जानी चाहिए । वाणिज्यिक पत्र एक ही तारीख को या अलग-अलग तारीखों को अंशों में जारी किये जा सकते हैं, बशर्ते अलग-अलग तारीखों के मामले में प्रत्येक वाणिज्य पत्र की परिपक्वता तारीख समान हो ।

	नवीकरण सहित वाणिज्यिक पत्र के प्रत्येक निर्गम को नये निर्गम के रूप में माना जाना चाहिए ।
मूल्य वर्ग	वाणिज्यिक पत्र 5 लाख रुपये या उसके गुणजों के मूल्यवर्ग में जारी किये जा सकते हैं । एकल निवेशक द्वारा निवेश की गयी राशि 5 लाख रुपये (अंकित मूल्य) से कम नहीं होनी चाहिए ।
रेटिंग संबंधी अपेक्षा	<p>वित्तीय संस्था वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए क्रेडिट रेटिंग भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल) या भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी (इकरा) या ऋण विश्लेषण और अनुसंधान लिमिटेड (केयर) या फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लि. या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट किसी अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से प्राप्त करेंगी ।</p> <p>न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल की पी.2 अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा दी गयी समकक्ष रेटिंग होगी । सीपी के निर्गम के समय निर्गमकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह से प्राप्त रेटिंग बनी हुई है तथा उसकी समीक्षा का समय नहीं हुआ है ।</p>
कौन अभिदान कर सकता है ?	वाणिज्यिक पत्र व्यक्तियों, बैंकिंग कंपनियों, भारत में पंजीकृत अथवा निगमित अन्य कंपनी निकायों तथा अनिगमित निकायों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ) तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों को जारी किये जा सकते हैं तथा वे उन्हें धारित कर सकते हैं। तथापि, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किये जानेवाले निवेश भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड द्वारा उनके निवेशों के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर होंगे ।
परिपक्वता अवधि	वाणिज्यिक पत्र निर्गम की तारीख से न्यूनतम 7 दिनों की तथा अधिकतम एक वर्ष की परिपक्वता अवधि के बीच की परिपक्वताओं के लिए जारी किये जा सकते हैं । तथापि वाणिज्यिक पत्र की परिपक्वता अवधि, निर्गमकर्ता की क्रेडिट रेटिंग की वैधता की तारीख के आगे नहीं बढ़ायी जानी चाहिए ।
बट्टा	वाणिज्यिक पत्र अंकित मूल्य पर बट्टे पर जारी किये जाएं तथा बट्टे की दर वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित की जाए ।
अंतरणीयता	भौतिक स्वरूप में वाणिज्यिक पत्र, परांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा मुक्त रूप से अंतरणीय होंगे। अमूर्त रूप में वाणिज्यिक पत्र की अंतरणीयता एफआइएमएडीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होगी ।

जारी करने की विधि	<p>वाणिज्यिक पत्र, सेबी द्वारा अनुमोदित तथा सेबी में पंजीकृत किसी भी निक्षेपागार के माध्यम से वचन पत्र या प्रॉमिसरी नोट के रूप में अथवा अमूर्त रूप में जारी किये जा सकते हैं ।</p> <p><u>अमूर्त रूप के लिए अधिमानता</u></p> <p>जारीकर्ता तथा अभिदाताओं दोनों को वाणिज्यिक पत्र अमूर्त अथवा मूर्त रूप में जारी करने/रखने का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन जारीकर्ता तथा अभिदाताओं को निर्गम/रखने के अमूर्त रूप पर अनन्य निर्भरता को अधिमानता देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है । तथापि, 30 जून 2001 से वित्तीय संस्थाओं को निदेश दिये गये हैं कि वे केवल अमूर्त रूप में ही नये निवेश करें तथा वाणिज्यिक पत्र रखें ।</p>
ऋण संवर्धन के लिए गारंटी	<p>बैंकेतर संस्थाएं जिनमें कंपनियां शामिल हैं, वाणिज्यिक पत्र निर्गम के लिए ऋण संवर्धन हेतु बिना शर्त तथा अप्रतिसंहरणीय गारंटी प्रदान कर सकती हैं, बशर्ते,</p> <p>(i) निर्गमकर्ता, वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के लिए निर्धारित पात्रता के मानदंडों को पूरा करता है ।</p> <p>(ii) गारंटीदाता को अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गयी रेटिंग, जारीकर्ता की रेटिंग से कम-से-कम एक स्तर उच्च हो; तथा</p> <p>(iii) वाणिज्यिक पत्र के प्रस्ताव दस्तावेज़ में गारंटी देनेवाली कंपनी की निवल संपत्ति, उन कंपनियों के नाम, जिन्हें गारंटीदाता ने इसी प्रकार की गारंटियां जारी की हैं, गारंटी देनेवाली कंपनी द्वारा प्रस्तावित गारंटियों की सीमा तथा किन परिस्थितियों में गारंटी लागू की जाएगी उन्हें स्पष्टतः प्रकट किया गया हो।</p>
भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना तथा वाणिज्यिक पत्र का निर्गम	<p>वाणिज्यिक पत्र के प्रत्येक निर्गम के बारे में, निर्गम पूर्ण होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर जारीकर्ता तथा अदाकर्ता एजेंट (आइपीए) के माध्यम से निर्दिष्ट प्रोफार्मा (अनुबंध 1) में मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाज़ार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई - 400001 को रिपोर्ट किया जाना चाहिए ।</p> <p>वाणिज्यिक पत्र का प्रारंभिक निवेशकर्ता, आइपीए के ज़रिए जारीकर्ता संस्था के खाते में रेखित अदाता खाता चेक के माध्यम से बट्टाकृत मूल्य का भुगतान करेगा ।</p>
वाणिज्यिक पत्र	वाणिज्य पत्र की परिपक्वता पर, जब वाणिज्य पत्र मूर्त रूप में धारित है, तब

की चुकौती	वाणिज्यिक पत्र का धारक उक्त लिखत को आइपीए के जरिए जारीकर्ता को चुकौती के लिए प्रस्तुत करेगा । तथापि जब वाणिज्यिक पत्र अमूर्त रूप में धारित है, तो वाणिज्यिक पत्र के धारक को निक्षेपागारों के माध्यम से उसका मोचन करना होगा और आइपीए के जरिए भुगतान प्राप्त करना होगा ।
जारीकर्ता की भूमिका	<p>क. प्रत्येक जारीकर्ता को वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के लिए एक आइपीए नियुक्त करना होगा ।</p> <p>ख. जारीकर्ता को मानक बाज़ार प्रथा के अनुसार अपनी वित्तीय स्थिति संभाव्य निवेशकों को प्रकट करनी चाहिए ।</p> <p>ग. निवेशक तथा जारीकर्ता के बीच सौदे के विनिमय की पुष्टि के बाद, जारीकर्ता कंपनी निवेशक को वास्तविक प्रमाणपत्र जारी करेगी अथवा निवेशक के खाते में वाणिज्यिक पत्र जमा करने के लिए किसी निक्षेपागार के साथ व्यवस्था करेगी ।</p> <p>घ. निवेशक को इस आशय के आइपीए प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि दी जाएगी कि जारीकर्ता का आइपीए के साथ वैध करार है और अनुबंध II में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार दस्तावेज सही हैं ।</p>
जारीकर्ता तथा अदाकर्ता एजेंट	केवल अनुसूचित बैंक ही वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए आइपीए के रूप में कार्य कर सकता है ।
वाणिज्यिक पत्र निर्गम की हामीदारी/सह-स्वीकृति	किसी भी जारीकर्ता के पास हामीदारीकृत अथवा सह-स्वीकृत वाणिज्यिक पत्र का निर्गम नहीं होगा ।
मानकीकृत बाज़ार प्रथाएं तथा प्रलेखीकरण	वित्तीय संस्थाएं एफआइएमएमडीए द्वारा इस संबंध में 5 जुलाई 2001 को जारी किये गये दिशानिर्देश देखें । इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर दंड लगेगा जिसमें वाणिज्यिक पत्र बाज़ार में प्रवेश करने पर भी रोक लग सकती है।

2.5 अंतर कंपनी जमाराशियां (आइसीडी)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर कंपनी जमाराशियों (आइसीडी) के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किये हैं। तथापि, जिन वित्तीय संस्थाओं का कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी के रूप में विन्यास हुआ है, वे उक्त अधिनियम के अंतर्गत

अनुमति के अनुसार अंतर कंपनी जमाराशियां जारी करने के लिए पात्र हैं। अंतर कंपनी जमाराशियों के माध्यम से जुटाये गयी राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समग्र अंब्रेला सीमा के भीतर होनी चाहिए। इस प्रकार अन्य लिखतों जैसे मीयादी मुद्रा, मीयादी जमा, जमा प्रमाणपत्र (सीडी) तथा वाणिज्य पत्र (सीपी) सहित अंतर कंपनी जमाराशियां का निर्गम, लेखा परीक्षा किये गये अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

3. बांडों/डिबेंचरों के निर्गम संबंधी मानदंड

3.1 वित्तीय संस्थाओं को बांडों के निर्गम से, चाहे सार्वजनिक निर्गम अथवा निजी तौर पर शेयरों के आबंटन द्वारा हों, संसाधन जुटाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने के अधीन रिज़र्व बैंक का निर्गम-वार पूर्वानुमोदन/पंजीकरण मांगने की आवश्यकता नहीं है :

- i) बांड की न्यूनतम परिपक्वता अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए;
- ii) खरीद /विक्रय अथवा दोनों विकल्प वाले बांडों के संबंध में, वह विकल्प बांड के निर्गम की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के पूर्व प्रयोज्य नहीं होना चाहिए;
- iii) बांड के निर्गम के समय प्रस्तावित परिपक्वता आय (वायटीएम), समान शेष परिपक्वता अवधियों की भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर परिपक्वता आय के ऊपर 200 आधार बिंदुओं से अधिक नहीं होनी चाहिए। खरीद /बिक्री विकल्प वाले लिखतों पर लागू परिपक्वता आय भी इस अपेक्षा को पूर्ण करती हो। [बांड के निर्गम के समय प्रस्तावित परिपक्वता आय (वायटीएम), समान शेष परिपक्वता अवधियों की भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर परिपक्वता आय के ऊपर 200 आधार बिंदुओं से अधिक नहीं होने की शर्त एक वर्ष के लिए लागू नहीं होगी तथा इसकी समीक्षा 8 दिसंबर 2008 से की जाएगी। 1 फरवरी 2010 को की गई समीक्षा के बाद समान शेष परिपक्वता अवधियों की भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर परिपक्वता आय के ऊपर 200 आधार बिंदुओं से अधिक होने की शर्त को अगली समीक्षा तक आस्थगित रखा गया।]
- iv) निर्गम की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने से पूर्व बांड पर 'एक्विजिट' विकल्प प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिए।

3.2 वित्तीय संस्था द्वारा किसी विशिष्ट समय पर जुटाये गये कुल संसाधन, जिनमें रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'अम्ब्रेला' सीमा के अंतर्गत जुटायी गयी निधियां शामिल हैं, का बकाया उसके नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 10 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, एनएचबी और एक्विजिम बैंक द्वारा व्यक्त कठिनाइयों को देखते हुए उनकी

कुल उधार सीमा एक वर्ष के लिए (एनएचबी के लिए 30 सितंबर 2011 तक और एक्जिम बैंक के लिए 31 मार्च 2012 तक) बढ़ाकर उनकी निवल स्वाधिकृत निधि का 11 गुना कर दी गयी है। इसकी बाद में समीक्षा की जा सकती है।

3.3 संसाधन जुटाने के लिए निर्धारित सीमा, केवल एक समर्थकारी व्यवस्था है। वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी संसाधनों की आवश्यकताओं तथा परिपक्वता ढांचा तथा उस पर प्रस्तावित ब्याज की गणना वास्तविक आधार पर करें, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ एएलएम/जोखिम प्रबंधन की स्वस्थ प्रणाली से व्युत्पन्न किया गया हो।

3.4 वित्तीय संस्थाओं को अस्थिर दर बांड के मामले में चयनित 'संदर्भ दर' तथा अस्थिर दर निर्धारण की पद्धतियों के संबंध में रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना चाहिए। बाद के अलग-अलग निर्गमों के लिए तब तक उक्त अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी जब तक आधार संदर्भ दर तथा अस्थिर दर निर्धारण की पद्धति अपरिवर्तित बनी रहती है।

3.5 वित्तीय संस्थाओं को अन्य विनियामक प्राधिकरण, जैसे सेबी आदि के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन भी करना चाहिए।

3.6 वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे जुटाये गये संसाधनों के ब्यौरों के मासिक विवरण अनुबंध 3 तथा 4 में दिये गये फॉर्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। महीने के अंत की स्थिति को दर्शाने वाले विवरण, दूसरे महीने के 10वें दिन अथवा उसके पूर्व प्रस्तुत किये जाने चाहिए। बांड के सार्वजनिक निर्गम से संबंधित ब्यौरे उस महीने के विवरण में शामिल किये जाएं जिसमें संबंधित निर्गम बंद हुआ है।

3.7 यह विवरण मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय संस्था प्रभाग, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई - 400 005 को भेजें, फैक्स सं. 22183579।

वाणिज्यिक पत्र के जारीकर्ता द्वारा जारीकर्ता तथा भुगतानकर्ता एजेंट (आइपीए) के माध्यम से रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली जानकारी का प्रोफार्मा

प्रति :

मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाज़ार विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

(आइपीए का नाम) के माध्यम से

महोदय

वाणिज्यिक पत्र का निर्गम

वाणिज्यिक पत्र के निर्गम पर रिज़र्व बैंक द्वारा 10 अक्टूबर 2000 को जारी किये गये दिशानिर्देश के अनुसार, हमने नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार वाणिज्यिक पत्र जारी किया है :

- i) जारीकर्ता का नाम :
- ii) पंजीकृत कार्यालय तथा पता :
- iii) व्यवसायिक कार्यकलाप :
- iv) उस/उन स्टॉक एक्सचेंज/जों के नाम जिसके/जिनके पास जारीकर्ता के शेयर सूचीबद्ध हैं (यदि लागू हो) :
- v) लेखा परीक्षा किये गये अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार मूर्त निवल मालियत (प्रतिलिपि संलग्न) :
- vi) कुल कार्यकारी पूंजी सीमा :

- vii) बकाया बैंक उधार :
- viii) जारी किये गये वाणिज्य पत्र के ब्यौरे
(अंकित मूल्य) : जारी करने की तारीख परिपक्वता की तारीख राशि दर
- ix) वर्तमान निर्गम सहित बकाया वाणिज्य पत्र की राशि (अंकित मूल्य)
- x) भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लि. (क्रिसिल) अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी से प्राप्त रेटिंग (रेटिंग प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
- xi) क्या वाणिज्यिक पत्र ंनिर्गम के संबंध में आपाती सुविधा दी गयी है ?
- xii) यदि हां तो
- (i) आपाती सुविधा की राशि (करोड़ रुपये)
- (ii) सुविधा प्रदान करनेवाले का नाम (बैंक/वित्तीय संस्था का नाम)

के लिए और की ओर से
(जारीकर्ता का नाम)

प्रमाणपत्र

हमारा के साथ वैध आइपीए करार है ।

(जारीकर्ता कंपनी/संस्था का नाम)

2. हमने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अर्थात्, बोर्ड

(जारीकर्ता कंपनी/संस्था का नाम)

संकल्प तथा साख निर्धारण एजेंसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र का सत्यापन किया है तथा प्रमाणित करते हैं कि दस्तावेज सही हैं । मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां हमारी अभिरक्षा में हैं ।

3*. हम एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित करते हैं कि रु (..... रुपये मात्र)

(शब्दों में)

के लिए (दिनांक) के क्रम सं. के संलग्न वाणिज्य पत्र के निष्पादकों के

हस्ताक्षर द्वारा फाइल किये गये नमूना हस्ताक्षरों के साथ

(जारीकर्ता कंपनी/संस्था का नाम)

मेल खाते हैं ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(जारीकर्ता तथा भुगतान एजेंट का नाम तथा पता)

स्थान :

तारीख :

*(मूर्त रूप में वाणिज्यिक पत्र पर लागू)

जुटाये गये कुल संसाधन संबंधी मासिक विवरणी

1. सूचना देने वाली संस्था :
2. समाप्त माह की रिपोर्ट :
3. रिपोर्ट की तारीख :
4. उधार लेने की कुल सीमा (एन ओ एफ का 10 गुना) : करोड़ रु.
5. दिनांक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार एनओएफ करोड़ रु.
6. माह के अंत में उधार ली गयी राशि की बकाया राशि करोड़ रु.

माह के दौरान जुटाए गए संसाधन (करोड़ रुपये)	
क. 'अंब्रेला सीमा' के अंतर्गत लिखत	राशि
1. मीयादी जमा-राशियाँ	
2. मीयादी मुद्रा उधार	
3. जमा प्रमाणपत्र (सीडीएस)	
4. अंतर-कंपनी जमाराशियाँ (आइसीडीएस)	
5. वाणिज्यिक पत्र	
क का जोड़ (1 से 5)	
ख. बांड	
कुल (क + ख)	

iv) निरंतर उपलब्ध बांड, यदि कोई हों (उपलब्धता अवधि का उल्लेख करें)								
कुल (ख)								
कुल जोड़ (क +ख)								

@ इनमें सिर्फ वे ईश्यू शामिल किये जाएंगे जिन की उपलब्धता अवधि पहले ही समाप्त हो गई है ।

जनता के अभिदान/निजी प्लेसमेंट के लिए खोले गये ईश्यू की तारीख का उल्लेख किया जाए ।

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	एफआइसी सं. 817/ 01.02.00/ 95-96	27.05.1996	वित्तीय संस्थाओं के अल्पावधि उधार
2.	सीपीसी 2774/07.01.279(विसं) / 96-97	03.05.1997	वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधन जुटाना
3.	बैंपवि. एफआइडी. सं. 28/ 01.02.00/97-98	26.03.1998	वित्तीय संस्थाओं द्वारा बांड निर्गम से संसाधन जुटाना
4.	बैंपवि. एफआइडी. सं. 30/ 01.02.00/98-99	09.07.1998	एआइएफआइ द्वारा बांड के निर्गम पर स्थायी समिति - उसका गठन
5.	बैंपवि. एफआइडी. सं. 33/ 09.01.02/98-99	14.11.1998	वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधन जुटाना - निजी तौर पर आबंटन करके बांड जारी करना
6.	बैंपवि. एफआइडी. सं. सी-21/ 09.01.02./99-2000	21.06.2000	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधन जुटाना
7.	बैंपवि. एफआइडी. सं. सी-6/ 09.01.02./2000-01	10.10.2000	मुद्रा बाजार में गतिविधियां -मीयादी जमाराशियों की रेटिंग
8.	बैंपवि. एफआइडी. सं. सी-12 / 01.02.00/2000-01	05.12.2000	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधन जुटाना - मासिक विवरणियां
9.	औनिःवि. 2 /08.15.01/2001-02	23.07.2001	वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देश
10.	बैंपवि.एफआइडी. सं. सी-4/ 01.02.00/ 2001-02	28.08.2001	लिखतों को अमूर्त रूप में रखना
11.	बैंपवि.एफआइडी. सं. सी-15 01.02.00/ 2001-02	29.04.2002	जमा प्रमाणपत्रों को अमूर्त रूप में जारी करना
12.	बैंपवि.एफआइडी. सं. सी-18/ 01.02.00/ 2000-01	20.06.2002	जमा प्रमाणपत्र - न्यूनतम तथा बहुविध अपेक्षाएं
13.	बैंपवि.एफआइडी. सं. सी-9/ 01.02.00/ 2002-03	25.11.2002	मौद्रिक तथा ऋण नीति, 2002-03 की मध्यावधि समीक्षा -जमा प्रमाणपत्र
14.	बैंपवि.एफआइडी. सं. सी-6/ 01.02.00/ 2003-04	06.08.2003	वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देश
15.	मौनीवि.245/07.01.279/2003-04	05.01.2004	मीयादी जमाराशियां: समयपूर्व आहरण
16.	मौनीवि. 254/07.01.279/2004-05	12.07.2004	जमा प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र
17.	मौनीवि.258/07.01.279/2004-05	26.10.2004	वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश
18.	बैंपविवि.एफआइडी.एफआइसी.1/01.02.00/2006-	01.07.2006	मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए

	07		संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड
19.	बैंपविवि.एफआइडी.एफआइसी.1/01.02.00/2007-08	02.07.2007	मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड
20	बैंपविवि.एफआइडी.एफआइसी.1/01.02.00/2008-09	01.07.2008	मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड
21	बैंपविवि.एफआइडी. 8909/09 01.02/2008-09	08.12.2008	वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड
22	बैंपविवि.एफआइडी. 8911/09 01.02/2008-09	08.12.2008	वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड
23	बैंपविवि.एफआइडी. 8912/09 01.02/2008-09	08.12.2008	वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड
24	बैंपविवि.एफआइडी. 9045/09 01.02/2008-09	08.12.2008	वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड
25	बैंपविवि.एफआइडी.11379/09 01.02/2008-09	15.01.2009	अम्ब्रेला सीमा में छूट
26.	बैंपविवि.एफआइडी. एफआइसी. 1/ 01.02.00/2009-10	01.07.2009	मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड
27.	बैंपविवि.एफआइडी.11357/09 01.02/2009-10	01.02.2010	वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड
28.	बैंपविवि.एफआइडी.11358/09 01.02/2009-10	01.02.2010	वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड
29.	बैंपविवि.एफआइडी.11359/09 01.02/2009-10	01.02.2010	वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड
30.	बैंपविवि.एफआइडी.No.5539/03.27.29/2010-11	05.10.2010	उधार सीमा-एनएचबी द्वारा वृद्धि के लिए अनुरोध
31	बैंपविवि.एफआइडी.13940/03.27.29/2010-11	08.03.2011	कुल बकाया संसाधनों की निर्धारित सीमा में छूट
32.	बैंपविवि.एफआइडी.19202/03.27.12/2010-11	13.06.2011	अम्ब्रेला सीमा के अंतर्गत संसाधन जुटाना
33.	बैंपविवि.एफआइडी.19204/03.01.06/2010-11	13.06.2011	अम्ब्रेला सीमा के अंतर्गत संसाधन जुटाना
34.	बैंपविवि.एफआइडी.19205/03.01.11/2010-11	13.06.2011	अम्ब्रेला सीमा के अंतर्गत संसाधन जुटाना